

Delhi Building & Other Construction Workers Welfare Board
Labour Department
7th Floor, A-Wing, Vikas Bhawan – II, Civil Lines, Delhi – 110054

Dated: 4-8-17

FNo./17/600/DBOCWWB/2017/2215

To,

✓ The Deputy Secretary (Question)
Delhi Legislative Assembly
Old Secretariat
Delhi-110054

Sub:- USQ No. 223 dated 10.08.2017.

Sir,

I am forwarding herewith 100 copies of USQ No. 223 dated 10.08.2017 for further necessary action.

Thanks.

Yours faithfully


(H.K. MITTAL)
Sr. A.O (Board)

Copy to:-

1. Director, DIP, Old Secretariat, Delhi-54 along with 150 copies of reply for information please.

Sr. Accounts Officer (Board)

विभाग का नाम: दिल्ली भवन एवं सनिमरण श्रमिक कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग)

प्रश्न कर्ता का नाम: श्री गिरीश सोनी

अतारंतिक प्रश्न संख्या: 223

दिनांक: 10/08/2017

प्रश्न	उत्तर
क) क्या यह सत्य है की लेबर कार्ड बनाने के लिए सरकार ने मजदूर संगठनों को जिम्मेदारी दी गई है?	जी नहीं!
ख) यदि हाँ तो उन मजदूर संगठनों को किस आधार पर यह अधिकार दिया है!	लागू नहीं!
ग) यदि कोई संगठन नियमों के विरुद्ध किसी का लेबर कार्ड बनता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है?	लेबर कार्ड जिला कार्यालय में सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है तथा किसी भी अन्य संगठन को लेबर कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं दी गई है!



सचिव (बोर्ड)

A. NEDUNCHEZHIAN
Secretary
DBOCWW BOARD